वन्य जीवों का भी होगा परिवार नियोजन

प्रमोद भार्गव

दुनिया में बढ़ रही मनुष्य की आबादी की तरह पर्याप्त संरक्षण मिलने के कारण वन्य जीवों की भी आबादी कुछ अभयारण्यों और चिड़ियाघरों में बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसे में ये प्राणी एक तरफ तो मनुष्य के लिए संकट बन गए हैं और दूसरी तरफ अरण्यों और चिड़ियाघरों में स्थानाभाव के कारण ये समा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में शेर जैसे महत्वपूर्ण व दुर्लभ प्राणी को एड्स के खतरे की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए अब प्राणियों की बढ़ती अवांछित आबादी पर काबू पाने के लिए वैज्ञानिकों ने वन्य जीवों की नसबंदी व गर्भपात करने के उपाय खोज निकाले हैं। परिवार नियोजन की ये प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक शुरू भी कर दी गई हैं। परिवार नियोजन से वन्य जीवों में पनपते एड्स के खतरे को भी रोका जा सकता है।

कुछ समय पूर्व वन्य जीवन से सम्बंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें खुलासा किया गया था कि एड्स के वाइरस शेरों में भी पाए जा रहे हैं और ऐसी घटना दक्षिण अफ्रीका में घट भी चुकी है। प्राणी संग्रहालयों और चिड़ियाघरों में ऐसी घटनाएं घटने की ज़्यादा आशंका रहती है क्योंकि इनमें प्राणियों को नैसर्गिक वातावरण नहीं मिल पाता, दूषित वातावरण में रहना पड़ता है और प्राणियों में परस्पर निकटता भी आ जाती है। ऐसे जीवों में एड्स की ज़्यादा आशंका होती है।

इस रिपोर्ट के आने के बाद इन्दौर के वन्य प्राणी संग्रहालय में एक ही स्थान पर रह रहे दस शेरों में एड्स के वाइरस होने की शंका की गई। इसी समय यहां वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सदस्य शैली वॉकर आईं और उन्होंने भी शेरों की बढ़ती हुई संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि इस चिड़ियाघर के रख-रखाव को देखते हुए शेरों की संख्या नियंत्रित की जाए क्योंकि चिड़ियाघर के नियमों के अनुसार शेरों को किसी प्रकार का नैसर्गिक वातावरण नहीं मिल पा रहा है और न ही शेरों को अलग-अलग रहने के लिए बड़े पिंजरों की व्यवस्था है।

शेरों में एड्स की आशंका के समाधान के लिए चिड़ियाघर के प्रबंधकों ने शेरों का रक्त परीक्षण कराना उचित समझा। इस जांच के लिए पशु चिकित्सालय, महू और चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर को कहा गया। एड्स वाइरस के विशेषज्ञ व जांच उपकरण न होने के कारण यह जांच नहीं हो सकी। नतीजतन शंका बरकरार रही। अब इन शेरों की नसबंदी कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली व कुछ अन्य अन्य चिड़ियाघरों में वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ जाने से आहार से लेकर आवास तक की अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं। हालांकि देश के प्रमुख वन्य प्राणी संग्रहालयों में यह लक्ष्य रखा गया था कि विलुप्त होते वन्य जीवों की प्रजाति को बचाए रखने के लिए प्रजनन की सुविधा मुहैया कराई जाए लेकिन हुआ उल्टा। दुर्लभ

प्रजाति के वन्य जीवों की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, जबकि साधारण प्राणियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश के कई चिड़ियाघरों व अभयारण्यों में नीलगाय, हिरण व जंगली गधों की संख्या इस कदर बढ़ गई है कि उन्हें रखना ही मुश्किल हो गया है। इस सिलसिले में दिल्ली में हुई एक कार्यशाला में चिड़ियाघरों में अवांछित प्राणी संख्या नियमित करने के उपाय विषय पर बहस भी छिड़ी। इस बहस के बाद निष्कर्ष निकला कि वन्य जीवों की नसबंदी की जाए। इस सुझाव को अमल में लाने के लिए प्राणी वैज्ञानिक डॉ. बी.एम. अरोड़ा और डॉ. जार्ज ने दिल्ली के चिड़ियाघर में एक शेर और एक नीलगाय का नसबंदी ऑपरेशन भी किया। अर्जुन नाम का यह बब्बर शेर नसबंदी कराने वाला भारत में पहला वन्य प्राणी है।

भारतीय हाथियों की तरह कुछ साल पहले तक अफ्रीका के हाथी भी संकट में थे किंतु अब कुछ संरक्षित क्षेत्रों में इनकी आबादी में पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है। यह सफलता सार्थक संरक्षण के प्रयासों और विश्व स्तर पर हाथी दांत की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मिली है। यह खुलासा पैनोस ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है।

पर्यावरणविदों व प्राणी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि का ऐसे क्षेत्रों में विस्तार हुआ है जो कभी वन्य जीवन के लिए आसानी से उपलब्ध रहती थी। इस तरह चराई करने वाले प्राणियों और मनुष्य के बीच टकराव शुरू हो गया। सीमित क्षेत्र में फंसे प्राणी अधिक चराई कर अपने संरक्षित क्षेत्र को नष्ट कर देते हैं। जब हाथी मुक्त रूप से विचरण करते हैं तो चराई के कारण एक स्थान के नष्ट हो जाने से वे जल्दी ही दूसरे स्थानों की ओर पलायन कर जाते थे। इस कारण से कोई समस्या सामने नहीं आती थी किन्तु अब ये हाथी छोटे-छोटे संरक्षित क्षेत्रों में ही सिमटकर रह गए हैं और जब इन्हें चारे का अभाव खटकता है तो ये गांवों की ओर विनाशकारी पलायन कर जाते हैं। इस तरह की समस्या बंगाल और बिहार में हर साल पैदा होती है।

ज़िम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका में हाथियों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त हाथियों को गोली मार दी जाती है। किंतु प्राणीविदों और जन सामान्य की दृष्टि में यह अमानवीय उपाय है। केन्या में आयोजित एक परिसंवाद में इस समस्या से उभरने के लिए एकमात्र समाधान के रूप में जन्म नियंत्रण को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान अनेक गर्भनिरोधक तकनीकों की भी जानकारी दी गई और गर्भनिरोधकों से पैदा होने वाली कठिनाइयों से भी अवगत कराया गया। हाथी के वीर्य उत्पादन पर नियंत्रण लगाने के लिए दवाई की अधिक मात्रा की ज़रूरत होने के कारण यह उपाय अधिक खर्चीला होता है। दूसरी ओर, मादा को गहरी नींद में डालकर उसके शरीर में गर्भनिरोधक प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया से सारा झुण्ड विचलित हो सकता है। इसलिए इस समस्या का समाधान गर्भनिरोधक गोलियों के जरिए गर्भपात कराना है। ये गोलियां स्त्रियों में गर्भपात के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गोलियों के समान होती हैं। आर.यू. 486 नामक इस गोली का आविष्कार फ्रांस के एक शोधकर्ता द्वारा किया गया है। लेकिन गोली खिलाने के समय में यदि कोई असावधानी रह जाती है तो 22 माह की गर्भावस्था के बाद हथिनी को जब इस बात का पता चलता है कि उसका गर्भपात हो चुका है तो वह दुखी होकर अपने भ्रूण को सूंड पर उठाए कई दिनों तक घूमती रहती है। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक जीव-विज्ञानी रोजर शोर्ट ने स्वयं के द्वारा आविष्कृत गर्भनिरोधक गोली का हवाला देते हुए कहा था कि मध्य गर्भावस्था काल में जब भ्रूण का वज़न मात्र 11 किलोग्राम होता है तब गर्भपात करवाकर इस समस्या से छुटकारा पाया जाता है। इस समय भ्रूण का वज़न पूर्ण अवधि के बाद जन्म लेने वाले बच्चे का दसवां भाग होता है। गर्भपात की ये गोलियां मादा हथिनी को केले के पत्ते के साथ खिलाई जाती हैं। गोलियां हर गर्भपात के बाद खिलाना ज़रूरी है। वन्य जीव विशेषज्ञों ने हाथियों के जन्म नियंत्रण और चिकित्सकीय प्रयोगों के लिए एक कोश भी स्थापित किया है। अतिरिक्त वन्य जीवों पर नियंत्रण पाने के लिए नसबंदी या गर्भनिरोध तकनीकें ही उपयुक्त हैं। ***(स्रोत विशेष फीचर्स)***